फारम-VIII - क

कार्यालय नगर परिषद दानापुर निजामत

भवन की योजना के अनुमोदन

उपविधि संख्या- 8(4)

आप के आवेदन संख्या- 149 तिथि- 19.12.2019 के संदर्भ में

श्रीमती विणा सिंह, पति-श्री मोती प्रसाद सिंह, पता-मीलु निवास, राजपुर के सामने, महंत हनुमान स्कूल, एल0सी0टी0 घाट, मैनपुरा, पटना।

(क) आवासीय भवन के निर्माण

(ख) व्यवसायिक भवन के निर्माण

(ग) भवन के पुनःनिर्माण

(घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन

(ड़) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु दानापुर नगर परिषद/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम के 149 प्लौट नं0- 1676, खाता नं0- 277, तौजी नं0-5400, थाना नं0- 21, मौजा- दानापुर शहजादपुर, पता-थाना- दानापुर, जिला- पटना के बाबत निम्नलिखितशर्तो/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं0-....17...../20-21 है, जिसका निर्माण क्षेत्रफल 817.73 वर्ग मीटर एवं G+3 की स्वीकृति दी जाती है:-

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 212.30 वर्ग मीटर का पार्किंग का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 6.10 मी0 चौड़ाई के अनुमोदित पहूंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ड़) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/ या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार क्षेत्रों के अधिनस्थ नगर परिषद दानापुर आयोजना क्षेत्र में 0.0 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षो की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार, हक, हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

UTTAM CONSTRUCTION & DEVELOPERS

Managing Director

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.CutePDF.com

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।

(ञ) बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली (RERA), 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन कराना अनिवार्य होगा।

(ट) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों / कागजात के सत्यापन की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि / हेर-फेर / कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ-आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

(ठ) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भीं प्रकार के अनियमितता / विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।

(ड) Environmental Protection Act. के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढ़क कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।

(ढ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules),2016 का अनुपालन किया जाय।

(ण) अफोर्डेबल हाउसिंग एण्ड स्लम रिहैबिलिटेशन एवं रिडेवलपमेन्ट हाउसिंग पॉलिसी, 2017 के अन्तर्गत शेल्टर फण्ड की राशि जमा करने के उपरान्त ही भवन का निर्माण करना होगा।

(त) रैन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम का अनिवार्यरूप से भवन में अनुपालन करना होगा।

(थ) अन्य शर्त

बिहार नगर पालिका. अधिनियम 2007 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 के संगत प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करते हुये भवन निर्माण किया जायेगा।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

ज्ञापांकः- ...17...../दिनांकः- ...10/09/2020

प्रतिलिपिः- श्रीमती विणा सिंह, पति-श्री मोती प्रसाद सिंह, पता-मीलु निवास, राजपुर के सामने, महंत हनुमान स्कूल, एल0सी0टी0 घाट, मैनपुरा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

UTTAM CONSTRUCTION & DEVELOPERS
Managing Director

नगर परिषद् दानापुर निजामत

तकियापर, दीघा, दानापुर
Email– nagarparishaddanapur@gmail.com

ज्ञापांक 1717 /दिनांक 10/09/2020

प्रेषित,

श्रीमती विणा सिंह,
पति–श्री मोती प्रसाद सिंह,
पता–मीलु निवास, राजपुर के सामने,
महंत हनुमान स्कूल, एल0सी0टी0 घाट,
भैनपुरा, पटना।

विषय– **Affordable Housing and SLUM Rehabilitation & Redevelopment Housing Policy, 2017 के तहत शेल्टर फण्ड की राशि जमा करने / ई0डब्लू0एस0 के लिए प्लान जमा करने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा भवन निर्माण / बहुमंजिला भवन निर्माण हेतु आवेदन सं0-~~184~~ 149 /19-20 द्वारा किया गया था। जिसका खाता नं0-277, प्लौट नं0-1676, तौजी नं0-5400, थाना नं0-21, मौजा -दानापुर शहजादपुर है।

Affordable Housing and SULM Rehabilitation & Redevelopment Housing Policy, 2017 के अनुसार 4000 वर्ग मी0 भूमि क्षे0 से कम एवं ज्यादा के लिए अनिवार्य प्रावधान किया गया है :-

क्र0 सं0	प्रस्तावित नक्शा का भूमि क्षे0	प्रावधान
1	8 फ्लैट ज्यादा एवं 500 वर्ग मी0 से ज्यादा एवं 4000 वर्ग मी0 भूमि क्षे0. से कम (दोनो में से कोई एक अनिवार्य रूप से) तथा व्यवसायिक भवन	15 प्रतिशत ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 का प्रावधान रू0 750/- वर्ग मी0 की दर से शेल्टर फण्ड जमा करना। (कुल विल्टप ऐरिया का 10 प्रतिशत (वर्ग मी0 में)
2	4000 वर्ग मी0 भूमि क्षे0 से ज्यादा	15 प्रतिशत अनिवार्य रूप से ई0डब्लू0एस0 /एल0आई0जी0 का प्रावधान

अतः आपके द्वारा प्रस्तावित नक्शा जिसका कुल विल्टप ऐरिया 817.73 वर्ग मी0 है। उपर्युक्त विवरण में अंकित प्रावधानों के शेल्टर फण्ड की राशि / ई0डब्लू0एस0 / एल0आई0जी0 निर्माण प्लान अनिवार्य रूप से जो लागु हो जमा करें ताकि नक्शा स्वीकृति पत्र निर्गत किया जा सके।

Shelter Fund

Total B/U Area - 817.73 m2
10% of Total B/U Area - 81.773 m2
81.773 m2 - @ 750/- = 61329.75
Total Shelter Fund Ammount – 61330.00

कनीय अभियंता
न0 प0 दा0 नि0

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् दानापुर निजामत

UTTAM CONSTRUCTION & DEVELOPERS
Managing Director













































































